सेवा में,

दिनांक – 29 सितम्बर 2020

**विषय: प्राथमिकी सिमडेगा थाना काण्ड संख्या 89/2020 में महत्वपूर्ण बातों को जोड़ने के संबध में |**

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रोजलिन कुल्लू, पति राज सिंह, ग्राम भेड़ीकुदर अम्बेरा टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा कि रहने वाली हूँ | दिनांक 16-09-2020 को जो घटना हुई मेरे और मेरे परिवार और गाँव के लोगों के साथ, और उस पर जो थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई उसमे बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें छुट गयी है, और उनको जोड़ना बहुत अनिवार्य है|

प्राथमिकी में लिखा गया है कि कुल मिला कर 20 लोग आये थे जबकि उनकी संख्या 60-70 थी, और उनमे से कुछ के पास लाठी डंडा था | और उनलोगों ने हमसे “जय श्री राम” का नारा भी लगवाया ज़बरदस्ती | और वे लोग हम पर यह आरोप लगा कर, हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे कि हम लोग गौ-मांस खाते है और उसकी तस्करी भी करते है |

**सिमडेगा थाना काण्ड संख्या 89/2020** जो थाना में दर्ज किया गया है वह इन धाराओं के अंतर्गत किया गया है : 341/323/354(B)/452/504/506/34 भा.द.वी और 3(1)(iii)-(x)-(xi) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 |

जबकि **सुप्रीम कोर्ट** ने **“तहसीन एस पूनावाला” केस** में बहुत अच्छे से बताया है कि **भीड़ द्वारा हिंसा** के मामलों में कैसे क्या करना है और साथ ही यह भी बताया है कि प्राथमिकी कैसे दर्ज करनी है, कैसे **धारा 153(A) भा.द.वी** भी लगाया जाएगा (क्यूंकि यह पूरी घटना की शुरुआत एक **वीडियों से हुई जिसे मोबाइल पर शेयर किया गया** था, घटना के कुछ दिन पहले) | और हमें जो **घर से और गाँव से निकालने** कि बात कही गयी, **मेरे पति को जान से मारने कि धमकी दिए और उसी नियत से उन पर सब से पहले हमला किया उनको ज़लील किया और मर पिट कि**, हमें **जूतों और चप्पलों कि माला पहना कर पूरे गाँव में घुमाया**, **मेरे पति के कपडे फट गए**, **आधा सर मुंड** दिया गया, **जाति सूचक गाली गलौज** कि, **मुझको बुरी नियत से हाथ लगाया**, जो **प्रशाशन को गलत सुचना दी गयी कि हम गौ-मांस खाते है एवं उसकी तस्करी करते है** | अतः धारा 307/354/ 354(A) भा.द.वी एवं धारा 3 1 (d) (e) (q) (r) (s) (w) – (i) (z) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 भी दर्ज कि जानी चाहिए |

दिनांक 16-09-2020 को सुबह करीब 6:00 – 6:30 जब मैं चाय बना रही थी, तो दूध ना होने के कारण मैंने अपने भाई दीपक कुल्लू को दुकान भेजा था दूध लाने के लिए और दीपक घर लौटा ही था कि उसी बीच कुछ 60-70 लोग जो सब 18-30 साल के थे जिनमे 1. नयन केशरी @ अमन केशरी पिता राजू केशरी 2. सोनू सिंह वल्द नामाकूल 3. तुलसी साहू वल्द निरंजन साहू उर्फ़ भोला साहू 4. श्रीकांत प्रसाद वल्द नामाकूल 5. दीपक प्रसाद वल्द नामाकूल 6. नयन केशरी वल्द नामाकूल 7. सोनू नायक वल्द नामाकुल सभी ग्राम बीरू थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा, एवं 7. राजेंद्र महतो वल्द चरलु महतो 8. नकुल पातर वल्द सुभन पातर दोनों सकिमान भेड़ीकुदर कुम्हारटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा और अन्य 50-60 लोग –

जिनमे से कुछ के हाथ में लाठी डंडा था, सभी ज़बरदस्ती मेरे घर घुस आये और मेरे पति राज को भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे और मार पिट करने लगे, और मेरे पति को बोल रहे थे कि “तुमको तो यहाँ से निकलवाएंगे और जो तुमको रखा है उसको भी निकलवाएंगे, तुम लोग साला इसाई धर्म मानता है, तुमको तो जान से मारने का आदेश मिला है हमलोग को” | और जब हम गिडगिडा भी रहे थे कि हम लोग को मत मारो तो वे नहीं माने और बोले कि “तुम लोग एक तो इसाई हो और गौ-मांस खाते हो और तस्करी भी करते हो सालों से, और तुमको मारने का आदेश है ऊपर से”,

जब हम पूछे कि कौन आदेश दिया है, तो वे बोले, “तुलसी साहू और श्रीकांत प्रसाद” ने आदेश दिया है | और इसी बीच मेरा भाई दीपक जो वापस आ गया था और मेरे पति राज को बचाने कि कोशिश में लगा हुआ था उसे भी सारे लोग मिल कर मारने लगे | और इसी बीच इम्मानुएल टेटे और सुगढ़ डांग को भी बुला कर खूब पिटा और गाली गलौज किया | और जब मैंने उनको रोकने कि कोशिश कि तो नयन केशरी और सोनू सिंह ने मेरे छाती और पीठ पर हाथ छोड़ा और मेरे साथ बदसुलूकी कि, और जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरे शोर कि आवाज़ से सोसन डांग और आदि लोग मेरे घर आये और मार पिट करने से मना किये तो नयन केशरी एवं राजेंद्र महतो हल्ला करने लगे कि “साला कोल कुकुर नीच आदिवासी को मारो ये लोग गौ-मांस खाते है”, यह कह कर उपरोक्त सभी व्यक्ति, मेरे पति राज और भाई दीपक को और जो भी बचाने आये थे उन् सब को जान से मारने कि नियत से सब मारने लगे | और मार पिट करते करते राज, दीपक, इम्मानुएल, सुगढ़ को धक्का मुक्की करते हुए कुम्हार टोली ले गए, जहाँ उनके सर भी मूढ़ दिए और चप्पल जूता का माला पहना कर पूरे गाँव में घुमाया और “जय श्री राम” का नारा भी लगवाया, और जब ये लोग नारा नहीं लगा रहे थे तब ये लोग डंडा और थेथर का डंडा से उनको मार रहे थे, और इसी क्रम में मेरे पति राज का कपडा भी फाड़ दिया था, और ये सब हमारी वार्ड चिंता देवी के पति करमु महतो कि आँखों के सामने हो रहा था, जो कि इस सब का समर्थन कर रहे थे|

इन लोगों को भेड़ीकुदर से ले कर कुम्हार टोली और गिरजा टोली में घुमा घुमा कर अपमानित किया गया और “जय श्री राम” का नारा लगवाया, और साथ ही वह लोग ये भी बोल रहे थे कि “तुम गाये को काटोगे तो हम तुम्हे काटेंगे”, “हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा” | उपरोक्त सभी लोग उच्च जाति के थे और सभी जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे, और खुद वे लोग भी “जय श्री राम” और “जय भवानी” का नारा जोर से बोल रहे थे |

ग्राम भेड़ीकुदर कि वार्ड चिंता देवी के पति करमु महतो कि सुचना पर मौके पर पुलिस आई और दो अफसर मेरे घर पर भी गए जहाँ से उनको कोई ऐसा मांस नहीं मिला | और जब पुलिस मेरे पति लोगों को गाड़ी में बैठा कर ले जा रही थी, तब भी सोनू सिंह, नयन केसरी, और सोनू नायक जो कि पीसीआर वैन में बैठने जा रहे थे जोर जोर से “जय श्री राम” का नारा लगते हुए गाड़ी में चढ़े और उनके पीछे करमु महतो भी गाड़ी में चढ़ा | इतना सब कुछ अचानक से हुआ कि हमलोग समझ ही नहीं पाए कि ऐसा ये लोग हमारे साथ क्यों कर रहे है |

हमे न सिर्फ बेईज्ज़त किया गया बल्कि हमे असुरक्षित भी महसूस कराया गया | यह पूरी एक सुनियोजित हिंसा थी, जिसके पीछे जो लोग थे, उनको पूरी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए. हम सभी पीड़ितों को अपनी मानहानी के लिए मुआवजा भी मिलना चाहिए जो कि क़ानून में तय है |

पीड़ितों का नाम – 1. रोजलिन कुल्लू 2. राज सिंह 3. दीपक कुल्लू 4. इमानुएल टेटे 5. सुगढ़ डांग 6. सोसन डांग

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि घटना के जिम्मेदार सभी व्यक्तियों पर उचित कारवाई कि जाए | इस कार्य के लिए मैं सदा आभारी रहूंगी |

आपकी

रोजलिन कुल्लू